फर्द अहकाम

नाम न्यायालय SDO ज्ञान नरेन्द्र सिंह बनाम दशरथ सिंह व अन्य

केस संख्या 28/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/01/17	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट किरीट कुज में पेश है पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा 05.09.13 से प्रस्तुत है, किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 02 ता 12 निष्क्रिय एकपक्षीय हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया अतः न्यायालय द्वारा रिकार्ड से प्रकरण पत्रावली को लम्बित रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः मुकदमा के निस्तारण तक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पारित किया जाता है। शेष अप्रार्थी गण के विरुद्ध अनुतोष खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर जारी पत्रावली हो दाखिल नम्बर से गम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आमेर (जयपुर)	

फर्द अहकाम

नरेन्द्र सिंह बनाम दरियाव सिंह वगैरा

नाम न्यायालय – SDO फागी

केस संख्या 28/2013 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/5/17		आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2017 राजस्व कैम्प कोर्ट ......गिदानीपुरा......में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निधारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं ① को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 किता 9 रकबा 41.04 बीघा ग्राम बाढरामचन्द्रपुरा व ख०न० 107, 108, 109, 207, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 491, 492, 493, 496, 837, 840, 843, 844, 845, 846, 847, 871, 872, 873 किता 26 रकबा 46.01 बीघा ग्राम मोहनपुरा राजावतान कुल रकबा.......... वाके ग्राम ....तहसील ......फागी जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। प्रार्थी व अप्रार्थी सं ① ही पाबंद रहेंगे। शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	